



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

(फार्मसी अधिनियम - 1948 की धारा 19 के तहत गठित)

(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)

मकान नम्बर - 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फोन:-0771-2444591, मो.नं.- 94255 05779, ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाईट:- www.cspc.in

कमॉक/सी.जी./फार्मा/2024/ 779

रायपुर, दिनांक :- 05/09/2024

::- सूचना -::

फार्मसी शिक्षण संस्थाओं तथा फार्मसी के सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल में फार्मासिस्ट पंजीयन हेतु आनलाईन प्रक्रिया का शुभारम्भ दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को माननीय श्याम बिहारी जायसवाल मन्त्री, छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग के करकमलों से किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल के वेबसाईट www.cspc.in से आनलाईन आवेदन किया जाना है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए आनलाईन आवेदन के पूर्व वेबसाईट में दिये गये मार्गदर्शिका एवं विडियो का अवलोकन तथा अध्ययन कर लें।

अतः फार्मसी शिक्षण संस्थाओं तथा फार्मसी के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, दिनांक 12 सितम्बर, 2024 से फार्मासिस्ट पंजीयन हेतु केवल ऑनलाईन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे तथा ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
सूचनार्थ।


05/09/2024

(अश्वनी गुर्देकर)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल

रायपुर (छ.ग.)